सप्तदश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–04 **वृहस्पतिवार, दिनांक–24 जुलाई, 2025 ई०।**

माननीय अध्यक्ष, श्री नन्द किशोर यादव की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11.00 बजे पूर्वा० से 11:50 बजे पूर्वा० तक

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही आसन की अनुमति से नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर अपना पक्ष रखा। साथ ही उन्होंने मा० मुख्यमंत्री से आश्वासन की मांग की कि किसी भी बिहारी का वोटर लिस्ट से नाम न छूटे क्यूंकि लोकतंत्र में जनता मालिक है।

इसके उपरांत विभिन्न दलों के निम्नांकित सदस्यों ने बारी–बारी से उसी मुद्दे पर अपना पक्ष रखा:–

(1) श्री शकील अहमद खाँ
(2) श्री महबूब आलम
(3) श्री अजय कुमार
(4) श्री सुर्यकांत पासवान
(5) श्री अखतरूल ईमान
(6) श्रीमती ज्योति देवी

तदुपरांत आसन की अनुमति से संसदीय कार्य मंत्री, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा विस्तार से सरकार का पक्ष रखा गया।

उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से वह बिहार के सभी मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहते है कि बिहार सरकार भी यही चाहती हैं कि कोई भी सही और वाजिब मतदाता का नाम मतदाता सूची से न हटे।

साथ ही उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि यह विशेष गहन पुनरीक्षण नियमित होता आया है इसलिये सभी लोगों को इस में सहयोग करना चाहिए।

इसके उपरांत सरकार की तरफ से माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा भी संक्षिप्त रूप में अपना पक्ष रखा गया।

[1] **<u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :–</u>**

(i) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदन को माननीय राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सदन पटल पर रखा गया।

(ii) माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वर्ष 2023–24 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदन को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदन को लोक लेखा समिति द्वार विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिये प्राप्य हो।"

उक्त प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

(iii) बिहार सरकार के मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा ऊर्जा विभाग से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा–395 के तहत साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2021–2022 एवं 2022–2023 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(iv) माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा कृषि विभाग से संबंधित दशम् प्रतिवेदन एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित एकादश प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(v) माननीय सभापति, अल्पसंख्यक कल्याण समिति, श्री शकील अहमद खाँ द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(vi) माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड से संबंधित 227वाँ प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर रखा गया।

(vii) माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री दामोदर रावत द्वारा ऊर्जा विभाग से संबंधित 350वाँ एवं 356वाँ प्रतिवेदन तथा पथ निर्माण विभाग से संबंधित 348वाँ एवं 351वाँ प्रतिवेदन की एक–एक प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

(vii) माननीय सभापति, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति, श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह द्वारा राज्य में पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित द्वितीय प्रतिवेदन की प्रति को सदन पटल पर रखा गया।

इस दौरान सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए। आसन द्वारा उन्हें अपने स्थान पर जाने का बार–बार अनुरोध किया गया। परंतु सदन में शांति कायम नहीं हो सकी और सदन भोजनावकाश तक के लिये स्थगित हो गया।

भोजनावकाश के बाद

(02:00 बजे अपराह्न से 02:38 बजे अपराह्न तक)

वित्तीय कार्य :–वित्तीय वर्ष 2025–2026 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग (समाज कल्यान विभाग) पर वाद विवाद तथा मतदान।

माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग, श्री मदन सहनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह द्वारा अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया।

अनुदान की मांग तथा कटौती प्रस्ताव पर वाद विवाद में माननीय सदस्य श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने अपना पक्ष रखा। उनके संबोधन के क्रम में सदन में शोरगुल हुआ। पक्ष और विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यगण वेल में आ गये।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अपने अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया, परंतु सदन में शांन्ति कायम न हो सकी और सभा की कार्यवाही 4:00 बजे अपा० तक के लिए स्थगित हुई ।

स्थगनोपरांत

(04:00 बजे आप० से 4:12 बजे अप० तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहन किया]

आसन का संबोधन :–

माननीय सदस्यगण, आज जो दृश्य पवित्र सदन में देखने को मिला, वह अत्यंत खेदजनक, पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस भी पक्ष में मर्यादा की सीमा का उल्लंघन हुआ है, वह उचित नहीं था।

सर्वप्रथम, मैं आप सभी से यह अपेक्षा करता हूँ कि हम एक मर्यादित लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हमारी प्रत्येक क्रिया, व्यवहार और भाषा इस लोकतांत्रिक संस्था की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। आपसी वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, परन्तु उन मतभेदों की अभिव्यक्ति यदि शालीनता की सीमा लांघती है तो वह न केवल संसदीय परंपराओं के विरुद्ध है बल्कि जन अपेक्षाओं के अनुरूप भी नहीं है।

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कोई भी आपत्तिजनक शब्द, अमर्यादित व्यवहार या अवांछनीय शब्द, अमर्यादित व्यवहार या अवांछनीय टिप्पणी इस सदन में स्वीकार्य नहीं होती है। यह सदन विमर्श का मंत्र है, संघर्ष का नहीं। यदि हम यहाँ अनुशासन, सहिष्णुता और संयम के मूल्यों का पालन नहीं करेंगे तो यह सदन अपनी गरिमा और विश्वसनीयता खो देगा।

मैं सभी पक्षों से आग्रह करता हूँ कि वे अपने–अपने वक्तव्यों और व्यवहार में शालीनता बरतें, यदि किसी से अकारण या आवेश में कोई अशोभनीय बात हुई हो तो उसे

त्यागें और इस दौरान जो भी असंसदीय एवं आपत्तिजनक बातें होंगी उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाएगा।

विवादों को विवेक से और असहमति को आदर के साथ व्यक्त करना ही लोकतंत्र की आत्मा है। आईए, हम इस पवित्र सदन की गरिमा को पुनर्स्थापित करें। जनता ने हम सबको यहाँ अपने विश्वास से पहुँचाया है। उस विश्वास की मर्यादा हमें बनाए रखनी है।

मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि आगामी कार्यवाही में पूर्ण मर्यादा, संयम और गरिमा बनाए रखें ताकि यह सदन बिहार की जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का यथोचित निर्वहन कर सके।

तदुपरांत सरकार का उत्तर हुआ।

सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी, समाज कल्याण विभाग द्वारा सरकार का पक्ष रखा गया।

सदन द्वारा माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार सिंह का कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ तथा इसके उपरांत वित्तीय वर्ष 2025–26 के प्रथम अनुपुरक व्यय विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगे बारी–बारी से मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुई ।

विधायी कार्य : (राजकीय विधेयक) :–

बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरान्त सभी खंड एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने। माननीय मंत्री द्वारा विधेयक की स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया। तदुपरान्त "बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2025 सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल –54 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 25, जुलाई 2025, को 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई।

दिनांक –24.07.2025

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।